

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनाशयल जज</p> <p>जबराराम बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 62/2022</p>	<p>न० ५ तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>27-04-2022</p>	<p>अपीलार्थी जबराराम /नरसाराम निवासी चाडो की ढाणी, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 03.08.2021 में (1) श्रद्धा डेवलपर्स जलजोग चौराहा जोधपुर में रजिस्ट्रीकरण कार्यालय है, जिसका रजिसट्रेशन नम्बर AR/GIM/CCS/268/2008(TDS No.RKTD-01741-F) है जिसमें रजिस्ट्रेशन सदस्यों की डाक्यूमेंट प्रूफ की प्रतिलिपि व रजिस्ट्रेशन किस आधार पर व कैसे किया गया था, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह अपील जिला प्रमुख, जिला परिषद जोधपुर को प्रेषित की गई तथा जिला परिषद जोधपुर कार्यालय से जरिये पत्रांक 957 दिनांक 15.03.22 इस कार्यालय में प्राप्त हुई ।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई ।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया । रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 371 दिनांक 29.03.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी (उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जोधपुर) को कार्यालय के पत्रांक 1353 दिनांक 21.10.2021 द्वारा अंतरित किया गया तथा प्रार्थी को भी पत्र पृष्ठांकित किया गया ।</p> <p>चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जोधपुर कार्यालय से संबंधित होने से उनको विधिक प्रक्रिया के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है अतः लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से एवं लोक सूचना अधिकारी (उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जोधपुर) का प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर न होकर सहकारी समितियां जयपुर का रजिस्ट्रार प्रथम अपीलीय अधिकारी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से यह अपील निरस्त की जाती है । आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो । आदेश सुनाया गया ।</p>	